

पुलिस

मुख्यालय

उत्तर

प्रदेश

द्वारा फ़ैक्स/ईमेल  
लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स  
पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन)पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2, लखनऊ-226010,  
फ़ैक्स नम्बर-0522-2724030 फोन-0522-2724027 ईमेल-logistics-polhq.lu@up.gov.in  
संख्या:लाजिस्टिक्स-सवार पुलिस-10/2022 दिनांक:मई 10, 2022  
सेवामें,

- 1-अपर पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य,  
डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य,  
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
3. पुलिस आयुक्त जनपद-कानपुर नगर।
- 4-पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-आगरा/अलीगढ़।

विषय:-


उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवानियमावली-2016 के अनुसार निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के रिक्त 01 पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु बोर्ड प्रपत्र-22 (कालम-53) में सूचना, अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0 घोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या:808/छ:-पु-2-2016-1100 (20) 2015 दिनांक:16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवानियमावली-2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के भर्ती/चयन वर्ष 01.07.2022 से 30.06.2023 तक के रिक्त 01 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपेक्षानुसार पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र 22 (कालम-53) में सूचना अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व0घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची संलग्न है, उक्त सूची को सभी उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस को प्रसारित करा दिया जाय तथा यदि किसी कर्मी को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उनकी आपत्तियां दिनांक 25.05.2022 तक प्रत्येक दशा में लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आपत्तियों का निवाराण कर अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा सकें।

3. प्रोन्नति के लिए अर्ह कार्मिकों के वर्ष 2012 से 2021 तक से सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां बोर्ड प्रपत्र-22 (कालम-53) में अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 01.07.2022 होगी। उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा बोर्ड प्रपत्र-22 को भरे जाने के सम्बन्ध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है। बोर्ड प्रपत्र 22 में सूचना A3 पेज पर LandScape में माईक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti dev 010 Fonts में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधानलिपिक, सीओ आफिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर, नाम/पदनाम की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

4. अतः उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-1 से 05 तक के उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के बोर्ड प्रपत्र-22 (कालम-53) में सूचना सी0डी0 सहित अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0 आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण एवं स्व0 घोषणा पत्र विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 05.06.2022 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट UP Police Units-Logistics-Circular पर भी अपलोड है।  
संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

  
(रोहन पी.कनय)  
पुलिस/अधीक्षक,लॉजिस्टिक्स  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:—पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है, कि उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के विरुद्ध यदि आपकी इकाई में जांच प्रचलित/लम्बित हो तो उस की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस अनन्तिम वरिष्ठता सूची**

S.N o.	DESIGNATION	PNO	NAME	FATHER'S NAME	CASTE	HOME DISTRICT	DATE OF BIRTH	DATE OF RECRUITMENT	PROMOTION DATE ON S.I. MP	PRESENT POSTING	date of Retirement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S.I. MP	872111301	इन्द्रपाल सिंह	महेन्द्र सिंह	पिछडी जाति	बुलन्दशहर	10-08-1967	02-04-1987	28/11/2010	पीटीसी सीतापुर	
2	S.I. MP	852460410	नन्दलाल	मनोहर राम	अनुसूचित जाति	बलिया	15-12-1962	20-11-1985	04/03/2001	कानपुर नगर	
3	S.I. MP	882510925	संग्राम सिंह	बुद्ध सिंह	अनुसूचित जाति	बुलन्दशहर	10-03-1964	20-04-1988	17/07/2019	पु0अ0मुरादाबाद	
4	S.I. MP	982411548	दिलसाद	रिसास अहमद	सामान्य	चन्दौली	30-12-1979	07-07-1998	17/07/2019	आगरा	
5	S.I. MP	901040091	अशोक कुमार	अमर सिंह	अनुसूचित जाति	मेरठ	01-07-1969	06-07-1990	17/07/2019	अलीगढ़	
6	S.I. MP	881040137	जुगेन्द्र सिंह	खचेई सिंह	पिछडी जाति	बुलन्दशहर	01-07-1968	20-04-1988	20-11-2020	पु0अ0मुरादाबाद	
7	S.I. MP	922120246	भगवान सिंह	श्यामवीर सिंह	अनुसूचित जाति	हाथरस	01-06-1972	07-12-1992	20-11-2020	पु0अ0मुरादाबाद	

बाजपयी  
09-05-2022  
(अतुल कुमार बाजपयी)  
उपनिरीक्षक (लिपिक)

सुरेश चन्द्र  
9/5/2022  
(सुरेश चन्द्र)  
निरीक्षक (लिपिक)

मुं सईद खॉ  
09.05.22  
(मुं सईद खॉ)

रोहन पी. कनय  
पुलिस उपाधीक्षक (गोपनीय) पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

**प्रारूप-“क”  
स्वघोषणा-पत्र**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम/पदनाम) व \_\_\_\_\_ पीएनओ) पुत्र  
 \_\_\_\_\_ (निवासी) \_\_\_\_\_ (थाना) \_\_\_\_\_ (जनपद) \_\_\_\_\_ वर्तमान में (जनपद/इकाई  
 का नाम) \_\_\_\_\_ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावन्त करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण \_\_\_\_\_
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई \_\_\_\_\_ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: \_\_\_\_\_ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० \_\_\_\_\_ धारा \_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: \_\_\_\_\_ की स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी \_\_\_\_\_ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में \_\_\_\_\_ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

**प्रमाणित**

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

**नोट:-**स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।



**बोर्ड प्रपत्र- भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश**

**महत्वपूर्ण :-** "बोर्ड प्रपत्र-03" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय ।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र०सं० अंकित की जायेगी । क्र०सं० आरोही क्रम में अंकित की जायेगी ।
2	इस कालम में कर्मों से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा ।
3	इस कालम में कर्मों से सम्बन्धित पात्रता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा ।
4	इस कालम में कर्मों का पी०एन०ओ० अंकित किया जायेगा ।
5	इस कालम में कर्मों का सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा ।
6	इस कालम में कर्मों का सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा ।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थ: पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस।
8	इस कालम में कर्मों की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा ।
9	इस कालम में कर्मों की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा ।
10	इस कालम में कर्मों के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी ।
11	इस कालम में कर्मों की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
12	सेवा अवधि- का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आरक्षी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी ।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी । उदाहरणार्थ : यदि किसी कर्मों का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी कर्मों का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे कर्मों को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
20	इस कालम में कर्मों द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय ।
21	इस कालम में कर्मों के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी कर्मों की सत्यनिष्ठा रोकी गई है तो उससे कर्मों को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
24	इस कालम में कर्मों द्वारा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में कर्मों के रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी ।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा ।

28	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
30	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
32	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत
33	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
34	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
35	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
36	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
38	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
39	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत
40	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2016
41	इसमें निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
42	इसमें कर्मी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
43	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
44	इसमें आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
45	इसमें अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि मा0 न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2016 नियत है।
46	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
47	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
48	इसमें कर्मी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
49	विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति -पूर्ण/लम्बित। पूर्ण है तो परिणाम व लम्बित है तो किस स्तर पर लम्बित है तथा लम्बित का कारण अंकित किया जाये।
50	यदि अपील हुई है तो अपील का दिनांक अंकित करते हुए अपील का परिणाम भी अंकित किया जाये।
51	इसमें कर्मी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2016 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
52	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 14-12-2016

53	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।
54	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फॉन्ट में ही तैयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।